

फर्द अहकाम

प्रथाग बनाम पारकर मल

न्यायालय

संख्या 576/93/03

कद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/9/18	प्रसाइडिंग कार्यालय दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/10/18 को पेश हो। <i>mm</i>	
	23/10/18	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/12/18 को पेश हो। <i>ml</i>	
	21/12/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 30/01/19 को पेश हो। <i>ml</i>	
	30/01/19	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 08/3/19 को पेश हो। <i>ml</i>	
	08/3/19	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 12/4/19 को पेश हो। <i>ml</i>	
	12/4/19	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/5/19 को पेश हो। <i>ml</i>	
	31/5/19	पत्रावली पेश हुई। व.क. उपर तहसीलदार वी.मू. शांत रिपोर्ट को शामिल किया गया। कार मू. वादी का पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार वी.मू. की रिपोर्ट के अनुसार वादी प्रथाग को ले चुका है। एउ उसके वारिशन के नाम से नामांतरण भी खुला-धुका है। जिसके बाद मू. वादी प्रथाग का कार मू. प्राप्त पेश नहीं किया गया है। वादी के वारिशन	

*Surpr*

गु.नं.576/97/03 प्रयोग / फेरर मत

द्वारा कुरेगाए प्रलाद नदी कनाए का  
ऐरराज किया गया है जिसे स्पष्ट  
लेना है कि कदी के वाशिशान उक्त वाद  
को आगे नहीं चलाए जाये कदी के  
वाशिशान द्वारा उक्त वाद में कायम मुकाभल  
का प्राप्ति पेश नहीं करने के कारण उक्त वाद  
को अवेट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता  
है जिस कारण उक्त वाद अवेट किया जाये  
उक्त वाद अवेट होने के कारण इसी स्वर  
पर ब्याज किया जाता है फाकली फंसल  
भुमा है कि दर्जनका से कम है तथा दायक  
रहित है

*[Handwritten Signature]*

सहायक कलेक्टर  
चौमू (जयपुर)

पारामिअक-डिप्ट  
जयपुर  
आग-प

